उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हनुमान VS अर्जुन कोर

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		106/2020 प्रार्थना पत्र
	24-9-20	बार एसोसिएशन द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। अतः प्रार्थी पालना में दिनांक 27-10-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
	27-10-20	वकुलाय उभ। जवाब प्रा० पत्र पेश होने हेतु दिनांक 5-11-20 को पेश हो, तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)
	5-11-20	वकुलाय उभ। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गयी चूंकि प्रकरण में दिनांक 5-8-20 द्वारा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है दोनों पक्षों की बहस उपरांत न्यायालय हल्का का उक्त आदेश स्वीकार किया जाता है तथा दोनों पक्षों को तावफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि वे खा० न० 46/649 0.08 है० वाके ग्राम ईस्माइलपुर तह० विराटनगर में प्रार्थी के हिस्से पर कोई निर्माण कार्य ना करे। पत्रावली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर confirm किया जाता है फायली फैसल शुमार कर बाद तस्दीक नम्बर, दर्ज कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)